संख्या- 145 /2025/ 1022 /चार-2025-1912772

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2025**

विषय:- दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5933/सं0नि0-15(39)/2024-25, दिनांक 20 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 335/2024/ 2757/ चार-2024 -1850173 दिनांक 18.09.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विगत वर्षों की भाँति उत्तर प्रदेश के जिलों में दिनाँक 17.10.2024 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित निम्नानुसार प्राप्त बीजकों के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0सं0	दिनांक	जिले का नाम/स्थान	कलाकार का नाम	धनराशि
1	18.10.2024	मऊ पंचमुखी हनुमान मन्दिर, घोसी	श्री राजेश कुमार राजभर, मऊ	39,374.00
2	17.10.2024	मऊ श्रीराम मन्दिर	श्री बिरेन्द्र, मऊ	42,815.00
3	17.10.2024	मऊ, श्री हनुमत कृपाधाम मन्दिर, बडरॉव	सुश्री अन्नू	45,525.00
4	17.10.2024	मऊ श्री राम जानकी मन्दिर, गोबिन्दपुरी, भिक्खमपुर	श्री देवेश गोड	42,515.00
5	17.10.2024	मऊ श्री राम जानकी ठाकुर मन्दिर, सुल्तानीपुर	श्री प्रेमनाथ गोड	43,750.00
6	17.10.2024	मऊ श्री राम जानकी मन्दिर, ग्राम-बकरी, पो0-पालिया	श्री राजेश कुमार	43,510.00
7	16.10.2024	श्री हनुमान मन्दिर, ग्राम-भीखारीपुर, पो0-भोयौरा	श्री बृजराज सिंह चौहान, मऊ	42,617.00
8	16.10.2024	मऊ श्री राम जानकी मन्दिर, जानकीघाट, दोहरीघाट	श्री जीतेन्द्र कुमार, मऊ	43,750.00
9	17.10.2024	मऊ श्री राम जानकी मन्दिर, चकभतडी	श्री सुरेन्द्र सरोज, मऊ	41,800.00
10	17.10.2024	मऊ श्री राम जानकी मन्दिर, मोलनापुर, मठमुहम्मदपुर	श्री बीरेन्द्र राजभर, मऊ	43,100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

11	17.10.2024	मऊ श्री ठाकुर रामजानकी मन्दिर, विजपुरा	श्री प्रद्युम्न मिश्रा, मऊ	37,000.00
12	17.10.2024	मऊ जमाल मिर्जापुर-घोसी	श्री भृगनाथ चौहान, मऊ	36,850.00
13	17.10.2024	मऊ श्री हनुमान मन्दिर, नैदाजर	श्री राजेन्द्र यादव, मऊ	45,000.00
14	17.10.2024	मऊ श्री हनुमान मन्दिर, बढुआ गोदाम	श्री जयश्री, मऊ	45,000.00
15	17.10.2024	मऊ श्री रामजानकी ठाकुर मन्दिर,	श्री सुभाष चन्द्र, मऊ	45,000.00
16	17.10.2024	मऊ श्री हनुमान शिव मन्दिर, नगर	श्री श्रवण कुमार यादव, मऊ	42,135.00
17	17.10.2024	मऊ हनुमान गढी मन्दिर	श्री जयप्रकाश यादव, मऊ	51,695.00
18	18.10.2024	मऊ श्री रामजानकी ठाकुर मन्दिर,	श्री प्रेमचन्द यादव, मऊ	41,800.00
19	18.10.2024	मऊ श्री हनुमान मन्दिर, इब्राहिमाबाद	श्री बीरेन्द्र यादव, मऊ	45,000.00
20	17.10.2024	प्रयागराज माता श्रृंग्वेरपुर धाम प्रयागराज	श्री राजनारायण पटेल, करछना, प्रयागराज	15,000.00
21	17.10.2024	प्रयागराज महर्षि भारद्वाज आश्रम	श्री शिवबालक पटेल, करछना, प्रयागराज	15,000.00
22	17.10.2024	प्रयागराज लेटे बडे हनुमान जी	श्री अच्छेला विश्वकर्मा, करछना, प्रयागराज	15,000.00
23	17.10.2024	प्रयागराज श्री हनुमत निकेतन सिविल लाइन	श्री अवध नारायण सिंह, करछना, प्रयागराज	15,000.00
24	17.10.2024	प्रयागराज महर्षि वाल्मीकि मन्दिर लकटहा पनासा	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, करछना, प्रयागराज	15,000.00
25	17.10.2024	बलिया श्री राम जानकी मन्दिर श्री नाथ	श्री अमरनाथ सिंह, बलिया	42,237.00
26	17.10.2024 से 18.10.2024	बलिया श्री हनुमान मन्दिर परिसर बहादुरपुरकारी	श्री अरविन्द कुमार यादव, बलिया	41,400.00
27	17.10.2024	बलिया हनुमान मन्दिर	श्री राजेश कुमार यादव, बलिया	44,800.00
28	17.10.2024	संत कबीर नगर महर्षि वाल्मीकि मन्दिर	श्री महेश मौर्य संतकबीर नगर	30,000.00
29	17.10.2024	प्रभारी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी, महर्षि वाल्मीकि मन्दिर	पं0 शिवंकर पाठक, वाराणसी	7,000.00
30	17.10.2024		पं0 राम भरत शास्त्री, वाराणसी	7,000.00
31	17.10.2024	प्रभारी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी	मै0 गणपति प्रिंट हाऊस, वाराणसी	6,136.00
32	17.10.2024		मै0 न्यू तन्मय टेन्ट एण्ड कैटरर्स, श्री राजेश कुमार वाल्मीकि , वाराणसी	6,520.00
33	17.10.2024		दीक्षा फ्लावर एवं डेकोरेटर, वाराणसी	5,710.00
34	17.10.2024		मै0 प्रीति ट्रेवेल्स	4,620.00
कुल योग (रूपये दस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ उन्सठ मात्र)				**10,88,659.00**

2. दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के आयोजन के संबंध में संस्कृति निदेशालय के पूर्व पत्र संख्या- 2129/सं0नि0-15(39)/2024-25 दिनांक 16 अक्टूबर, 2024, जिलाधिकारी, चित्रकूट के पत्र संख्या- 5271/वाल्मीकि जयन्ती/प0स0/2024-25 दिनांक 10 अक्टूरब,

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2024 एवं प्रभारी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, वाराणसी के पत्र संख्या- 47/तृतीय-10/2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-361/2024/ 3151/ चार-2024 -1850173 दिनांक 19.10.2024 द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती के अवसर पर जनपद लखनऊ, चित्रकूट एवं वाराणसी में महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों/ मन्दिरों आदि पर रामायण पाठ/ भजन कार्यक्रम कराये जाने हेतु रू0 13.41 लाख (रू0 तेरह लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार विगत वर्षों की भाँति दिनाँक 17.10.2024 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित प्राप्त बीजकों के भुगतान हेतु **रू0 10,88,659.00 (रूपये दस लाख अठ्ठासी हजार छः सौ उन्सठ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 335/2024/2757/चार-2024-1850173 दिनांक 18.09.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(6) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(9) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(10) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 145 /2025 / 1022 (1)/चार-2025-1912772 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, मऊ/प्रयागराज/ बलिया/वाराणसी।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रभारी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, वाराणसी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।